

आईसीडब्ल्यूए/586/7/2011

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधिनियम संख्या 14 की अधिसूचना के संदर्भ में 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. इस कानून में, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित या पूर्ण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी कार्यस्थलों के लिए एक निर्धारित अवधि के भीतर शिकायतों का समाधान करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) होना अनिवार्य है।

3. भारतीय वैश्विक परिषद के सक्षम अधिकारी ने तदनुसार एक आईसीसी के गठन का फैसला किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- | | |
|--|----------|
| I. श्रीमती नूतन कपूर महावर, संयुक्त सचिव, आईसीडब्ल्यूए | -अध्यक्ष |
| II. श्रीमती अपर्णा भट्ट, अधिवक्ता | -सदस्य |
| III. श्री वैभव ए तंडाले, उप-सचिव, आईसीडब्ल्यूए | -सदस्य |
| IV. श्रीमती निवेदिता रे, निदेशक, शोध, आईसीडब्ल्यूए | -सदस्य |

4. इस विषय पर पिछले सभी आदेशों के अधिक्रमण में यह जारी किया जाता है।

(वैभव ए तंडाले)

उप-सचिव, आईसीडब्ल्यूए

23.12.2021